



**प्री-बिड मीटिंग का कार्यवृत्त: रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, गुवाहाटी में कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं पेरिफेरल्स के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध (AMC) और सुविधा प्रबंधन सेवा (FMS) के लिए ई-टेंडर**

**ई-निविदा क्र. [RBI/Guwahati/Estate/6/25-26/ET/686](#)**

उपर्युक्त ई-टेंडर के लिए एक प्री-बिड मीटिंग 08 जनवरी, 2026 को दोपहर 3:00 बजे वेबएक्स के माध्यम से ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई थी।

2. (a) मीटिंग में भाग लेने वाले बैंक के अधिकारियों की सूची

सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी		
अनु क्र	नाम	पद
01	श्री अभिषेक सिंह	प्रबंधक
02	श्री कुशल भगत	सहायक प्रबंधक

(b) प्री-बिड मीटिंग में कुल छह (6) कंपनी/ व्यक्ति/ फर्म/ ठेकेदार ने भाग लिया।

3. मीटिंग के दौरान प्रतिभागियों द्वारा बैंक से पूछे गए प्रश्न तथा बैंक द्वारा दी गई स्पष्टीकरण नीचे दिए गए हैं:

अनु क्र	प्रश्न	स्पष्टीकरण
1	हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि अनुलग्न XI - अनुपालन मैट्रिक्स पृष्ठ संख्या 56 अनु क्र 1- "आपूर्तिकर्ता एक पंजीकृत भारतीय कंपनी/कंपनी अधिनियम के तहत सीमित कंपनी या पंजीकृत साझेदारी फर्म या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम 2008 के तहत शासित LLP होना चाहिए"। जैसा कि खंड में उल्लिखित है, केवल कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत बोलीदाता निविदा में भाग ले सकते हैं, लेकिन अनुलग्न I, पृष्ठ 42 Sl.no 4 के अनुसार (जैसा कि उल्लिखित है, संगठन का प्रकार (चाहे एकल स्वामित्व/साझेदारी/निजी सीमित/सीमित या सहकारी निकाय आदि)।  अतः प्रश्न यह था कि क्या एकल स्वामी निविदा में भाग ले सकता है या नहीं।	इस संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि खंड II पैराग्राफ 1 में दी गई पात्रता मानदंड बोलीदाता के फर्म की स्थिति को सूचीबद्ध करते हैं, लेकिन सीमित नहीं करते हैं, और उनमें सूचीबद्ध नहीं होने वाली अन्य फर्म भी निविदा में भाग लेने के लिए पात्र हैं। अनुपालन मैट्रिक्स उल्लिखित पात्रता मानदंडों के लिए बोलीदाता फर्म के विवरण को पकड़ता है और स्वयं में एक पात्रता मापदंड नहीं है। वे फर्म जो बिंदु संख्या 1 में किसी श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं की जा सकती हैं, उन्हें वहां उल्लिखित कर सकती हैं और निविदा में भाग ले सकती हैं। इसलिए, एक एकल स्वामित्व फर्म भी निविदा में भाग ले सकती है।
2	प्रमाणित इंजीनियरों के विवरण, टेंडर दस्तावेज़ के पृष्ठ संख्या 31 में माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को आदि प्रमाणपत्रों का उल्लेख है, क्या ये प्रमाणपत्र निवासी इंजीनियरों के लिए अनिवार्य हैं?	यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुभाग II में उल्लिखित पात्रता मानदंड गुवाहाटी कार्यालय में तैनात निवासी इंजीनियरों के लिए किसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं करते हैं। केवल श्रेणी संख्या 8 (पृष्ठ संख्या 57) में उल्लिखित न्यूनतम योग्यता



		अनिवार्य है। हालांकि, प्रमाणपत्र धारण करना एक अतिरिक्त लाभ है जो REs के ज्ञान को बढ़ाता है।
3	इसके अतिरिक्त, अनुपालन मैट्रिक्स पृष्ठ संख्या 57 अनु क्र संख्या 8- के अनुसार, 4 REs में से, टीम लीडर को कंप्यूटर विज्ञान में बी.टेक/कंप्यूटर अनुप्रयोग में मास्टर की डिग्री और 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और अन्य आरई को कंप्यूटर हार्डवेयर/ एप्लिकेशन /नेटवर्किंग में डिग्री/डिप्लोमा और अपने संबंधित क्षेत्रों में दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इस संबंध में, यदि कोई विक्रेता 3 REs का विवरण जमा करता है जिनकी शिक्षा डिप्लोमा से अधिक है, तो क्या यह उस विक्रेता के लिए अन्य प्रतिभागियों के बीच एक अतिरिक्त लाभ माना जाएगा?	यह स्पष्ट किया जाता है कि, कंप्यूटर हार्डवेयर/एप्लिकेशन/नेटवर्किंग में डिप्लोमा और उनके संबंधित क्षेत्रों में दो वर्ष का अनुभव होना अन्य 3 REs के लिए न्यूनतम मानदंड है। हालांकि, यदि कोई विक्रेता 3 REs के डिप्लोमा से अधिक शैक्षणिक योग्यता प्रस्तुत करता है, तो विक्रेता के चयन के लिए इसे कोई अतिरिक्त वजन/लाभ या प्राथमिकता नहीं दी जाएगी।
4	प्रश्न यह था कि एमपैनलमेंट कैसे काम करता है। क्या एमपैनल किए गए विक्रेता अगले वित्तीय वर्ष के लिए बोली लगा सकते हैं या वे पिछले वर्ष के लिए उद्धृत राशि के साथ ही भाग ले सकते हैं?	यह स्पष्ट किया गया कि विक्रेताओं का एमपैनलमेंट वित्तीय वर्ष 2026-2029 तक तीन वर्षों के लिए होगा। यदि वर्तमान विक्रेता द्वारा सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है/समाप्त कर दिया जाता है, तो एमपैनलमेंट प्राप्त विक्रेताओं से अगले वित्तीय वर्ष के लिए AMC के अंतर्गत संपत्तियों की संख्या, जो DIA गुवाहाटी द्वारा साझा की जाएगी, के आधार पर मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है।
5	खंड 1, पैराग्राफ 39 के अनुसार, किसी भी सिस्टम के हार्ड डिस्क क्रैश की स्थिति में लागत कौन वहन करेगा?	यह स्पष्ट किया गया कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम/लैपटॉप के हार्ड डिस्क क्रैश की स्थिति में विक्रेता लागत वहन करेगा।
6	उपकरणों की स्थापना किसके दायरे में होगी?	यह स्पष्ट किया गया कि आपूर्तिकर्ता को सभी उपकरणों के इन्वेंटरी के रखरखाव, स्थानांतरण, स्थापना और पुनर्स्थापन में आवश्यक सहायता प्रदान करनी होगी।
7	क्या बैंक गारंटी को इएमडी (EMD) के स्थान पर दिया जा सकता है?	यह स्पष्ट किया गया कि ठेकेदार को निविदा गतिविधि में भाग लेने के लिए केवल NEFT के माध्यम से EMD जमा करना होगा। बैंक गारंटी को EMD के स्थान पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, यह बताया गया कि NEFT के माध्यम से जमा की गई EMD बाद में वापस कर दी जाएगी, यदि (i) असफल ठेकेदार हों या (ii) सफल ठेकेदार के मामले में AMC की शुरुआत और 10% प्रदर्शन बैंक गारंटी का प्रस्तुतीकरण हो।



8	खंड 1, पैरा 51 के संदर्भ में, विभिन्न कानूनों के अनुपालन में, निवासी इंजीनियरों को बोनस प्रदान करना अनिवार्य है?	यह स्पष्ट किया गया कि सभी सरकारी विधियों, श्रम कानूनों और दिशानिर्देशों का त्वरित रूप से पालन किया जाना चाहिए। इसके अलावा, ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बोनस अधिनियम के प्रावधानों के तहत योग्य कर्मचारियों को बोनस दिया जाए।
9	क्या भारत सरकार द्वारा VDA / न्यूनतम मजदूरी में कोई संशोधन विक्रेता द्वारा वहन किया जाना है?	बोलीदाता को अनुबंध की अवधि के दौरान ऐसी सभी लागतों का भुगतान करना होगा, क्योंकि गतिविधि की लागत अनुबंध की अवधि के दौरान बदली नहीं जा सकती है। यदि बैंक अनुबंध को एक और वर्ष के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव रखता है, तो टेंडर दस्तावेज़ में उल्लिखित सूचकांकन सूत्र (indexation formula) के अनुसार संशोधन किए जा सकते हैं।
10	क्या उपकरण के लिए दर्ज कॉल को एक्सेल शीट में रखा जाना चाहिए?	यह स्पष्ट किया गया कि आपूर्तिकर्ता को कॉलों को ट्रैक करने और प्रक्रिया को तेज करने के लिए ऑनलाइन कॉल लॉगिंग प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करना चाहिए। सभी निवासी इंजीनियर ऑनलाइन कॉल लॉगिंग एवं प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से सुविधा प्रबंधन के साथ समन्वय करेंगे। इसके अलावा, सभी कॉल लॉग का रिकॉर्ड एक्सेल शीट प्रारूप में बनाए रखा जा सकता है।

4. बैंक भविष्य में किसी भी विक्रेता/ठेकेदार से किसी भी अन्य प्रश्न/स्पष्टीकरण को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा।